No. : BSEH/ASE/2024 Circular No.03/SEC/2024

Dated : 09-07-2024

प्रैस नोट

सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च–2024 के प्रमाण–पत्र/अनुत्तीर्ण(Essential Repeat)/कम्पार्टमैंट कार्ड (Eligible for Improvement of Performance) एवं माईग्रेशन प्रमाण–पत्र दिनांक 11–07–2024 व 12–07–2024 को वितरित किए जाएंगें।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा फरवरी/मार्च–2024 में आयोजित की गई सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च–2024 के गुरूकुल/विद्यापीठों/विद्यालयी परीक्षार्थियों के प्रमाण–पत्र/अनुत्तीर्ण (E.R.)/कम्पार्टमैंट (E.I.O.P) कार्ड एवं माईग्रेशन प्रमाण–पत्र (जिला भिवानी क अतिरिक्त) सम्बन्धित जिला के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर दिनांक 11–07–2024 को भेजे जाएंगे।

प्रदेश के सभी सैकेण्डरी विद्यालय/गुरूकुल/विद्यापीठ के मुखियाओं को इस बारे सूचित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रमाण–पत्र एवं कम्पार्टमेंट/अनुतीर्ण कार्ड तथा माईग्रेशन प्रमाण पत्र दिनांक 11–07–2024 को प्रातः 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक तथा दिनांक 12–07–2024 को प्रातः 09:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। जिला भिवानी के सैकेण्डरी के प्रमाण पत्र, कम्पार्टमैंट/अनुतीर्ण कार्ड एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र बोर्ड मुख्यालय के कमरा नं. 44 में वितरित किए जाएंगे।

संबंधित विद्यालय/संस्था मुखिया यदि स्वयं प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अपने विद्यालय/संस्था के किसी भी अध्यापक/प्राध्यापक को इस कार्य के लिए प्राधिकृत करें। जिस अध्यापक/प्राध्यापक को मुखिया द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, वे अपने साथ प्राधिकरण पत्र (Authority Letter) अवश्य लेकर आए अन्यथा उनको प्रमाण–पत्र नहीं दिये जायेंगे। प्राधिकरण पत्र न होने के कारण प्रमाण पत्र न मिलने की जिम्मेवारी सम्बन्धित विद्यालय/संस्था की होगी।

इसके अतिरिक्त स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे।

यदि कोई विद्यालय/संस्था किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथियों में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्रमाण पत्र दस्ती प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उस अवस्था में दिनांक 12–07–2024 के उपरान्त विद्यालय/संस्था मुखिया अपनी जिम्मेवारी पर प्रमाण पत्र बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।